

2018/00218

फर्द अहकाम
(नियम-26)

न्याय आपके द्वार 2018

अज अदालत

उप जिला कलक्टर

मुकाम

रायसिंहनगर

बनाम धरकन
शूलचन्द का-की का वाली

किस्म मुकदमा दुरुस्ती मुकदमा नं. 79/18
18/5/18

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
18/5/18	<p>आज यह पत्रावली तहसीलदार (भू.अ.) रायसिंहनगर के पत्र क्रमांक/18/162 दिनांक 18/5/18 के द्वारा राजस्व लोक अदालत "न्याय आप के द्वार-2018" कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत <u>गात्रवाली</u> में प्रार्थीगण के नाम चक <u>63 R B B</u> की जमाबन्दी सम्वत् <u>2068</u> के खाता नं. <u>55</u> ... में खातेदार <u>शूलचन्द का-की का वाली</u> के अहकाम के अन्तर्गत <u>शूलचन्द का-की का वाली</u> खातेदार <u>शूलचन्द का-की का वाली</u> शाखा <u>शूलचन्द का-की का वाली</u> अंकित है। जिसका नाम <u>शूलचन्द का-की का वाली</u> है। जिसकी <u>शूलचन्द का-की का वाली</u> के <u>शूलचन्द का-की का वाली</u> की दुरुस्ती की जाने की अभिशंषा की है।</p> <p>उक्त प्रकरण में तहसीलदार(भू.अ.) रायसिंहनगर की रिपोर्ट दिनांक <u>18/5/18</u> की पृष्टि मजमआम में उपस्थित ग्राम वारिसान व सरपंच ने की है। उक्त विवेचन के आधार पर वाके चक <u>63 R B B</u> के खाता नं. <u>55</u> में दर्ज खातेदार <u>शूलचन्द का-की का वाली</u> के <u>शूलचन्द का-की का वाली</u> की दुरुस्ती की जाती है। बाकी अंकन बदस्तुर रहेगा। इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में दुरुस्ती की जावे। इसी आशय का आदेश तहसीलदार के नाम जारी हो। पत्रावली दर्ज रजिस्टर होकर फौसले में <u>शुमार</u> होकर दाखिल दफतर हो।</p> <p>आदेश खुले मजमआम में सुनाया गया।</p>	

उप जिला कलक्टर
राजस्व लोक अदालत
रायसिंहनगर
न्याय आपके द्वार-2018
कैम्प कोर्ट गात्रवाली
उपखण्डाधिकारी (राजस्व) रायसिंहनगर